राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कैलाशचन्द बनाम अमृतवीर सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	810/2025	
04.2.26	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही उनकी बहस मन जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 05/02/2026 को पेश हो।	
05.2.26	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12/05/2025 पारित करते हुए तहसीलदार को ग्राम सिवार पटवार हल्का सिवार भू.अ.नि. क्षेत्र मुण्डियासर तहसील जयपुर स्थित खसरा नम्बर 241/2 रकबा 13.00 बीघा का राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रतिपादित नियम 18 से 21 की पालना करते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12/05/2025 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय के माध्यम से राजस्व मण्डल अजमेर के विभाजन के नियम 18 से 21 की अनुपालना करते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है, जिसमे कोई विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है। विधि अनुसार भी सहखातेदारान के मध्य विभाजन हेतु मीट्स एण्ड बाउन्ड्स यानि अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के आधार पर बंटवारा किया जाना न्यायोचित्त होता है। जहाँ तक अपीलार्थी द्वारा विवादग्रस्त भूमि में से विशिष्ट भू-भाग जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किये जाने के जो तथ्य प्रकट किये गये है उनके सन्दर्भ में विधि में यह अवधारणा है कि किसी भी अविभाजित भूमि यानि सयुक्त खाते की भूमि में प्रत्येक ईन्च पर प्रत्येक सहखातेदार को काबिज माना जावेगा तथा ऐसी अविभाजित भूमि का विभाजन अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के आधार पर किया जावेगा। ऐसेमें अपीलार्थी	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	कैलाशचन्द बनाम अमृतवीर सिंह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	8/10/2025	

के उज्र विधिसम्मत जाहिर नही होते है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 12/05/2025 में कोई विधिक त्रुटी जाहिर नही होने से उसे यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है | उभयपक्षों को जरिये अधिवक्ता यह निर्देश दिये जाते है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10/02/2026 को उपस्थित होकर अग्रिम कार्यवाही में भाग लेवे |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 05/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर